



Phone : 23710519

Fax : (91-11) 23730937, 23730682

E-mail : cvo@csir.res.in

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001

संख्या

No. 15-6(83)/98-O&M- Part File (Vol.IV)

Dated: 07 December, 2020

प्रेषक

From

मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

To

The Directors/Heads of all National Labs./Instts. of CSIR

Subject: Foreign visits by Government Employees – Reg.

Sir/Madam,

I am to refer to the CSIR circular No. 15-6(83)/98-O&M-Vo.II dated 17th January, 2005 and to state that the Central Vigilance Commission vide letter no. 004/VGL/87 (Circular no. 16/07/09) dated 06-07-2009 had invited reference to the Commission's earlier circulars on the above subject.

As per CVC instructions a list of employee who made private foreign visits during the preceding calendar year is to be furnished. You are, therefore, requested to furnish the required information for the year 2020 in the enclosed format by 31.01.2021 positively.

Yours faithfully,

(Lt. Col. Rana Vikram Singh)
Chief Vigilance Officer

Encl. As above

Copy to:

1. Sr.DS/DS(CO) CSIR Hqrs. – for necessary action.
2. IT Division, CSIR Hqrs. – for placing it in the CSIR website.
3. Office Copy



Phone : 23710519

Fax : (91-11) 23730937, 23730682

E-mail : cvo@csir.res.in

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001

संख्या

No.

15-6(83)/98-O&M-Vol.IV-Part File

दिनांक: 07 दिसम्बर, 2019

प्रेषक

From

मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

To

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं के निदेशक/प्रमुख

विषय: सरकारी कर्मचारियों द्वारा विदेश यात्राओं से सम्बंधित

महोदय/महोदया,

मुझे सीएसआईआर परिपत्र संख्या 15-6(83)/98-ओ एंड एम-वॉल्यूम-II दिनांक 17.1.2005 और केंद्रीय सतर्कता आयोग के पत्र संख्या 004/VGL/87 (परिपत्र संख्या 16.07.09) दिनांक 06.07.09 को संदर्भित करते हुए कहना है कि सीवीसी के निर्देशों के अनुसार पिछले वर्ष (कैलेंडरवर्ष) के दौरान निजी विदेश यात्रा करने वाले कर्मचारियों की एक सूची तैयार की जानी है। अतः आप से अनुरोध है कि आपके संस्थान/प्रयोगशाला से वर्ष 2020 के दौरान निजी विदेश यात्रा करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की जानकारी सम्बद्ध प्रारूप में दिनांक 31.01.2021 तक अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें।

भवदीय,

(ले. कर्नल राणा विक्रम सिंह)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि:

- वरिष्ठ उप सचिव (एच आर)/ उप सचिव (के.का.), सी एस आई आर : आवश्यक कार्रवाई हेतु
- सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, सी एस आई आर मुख्यालय: सी एस आई आर की वेबसाइट पर प्रस्तुत करने हेतु
- कार्यालय प्रति

Format-1

[illegible]